

हुकम या कार्यवाही नये इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

24-12-20 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 24.12.20 को पेश हो।

29-1-21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26.2.21 को पेश हो।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

26-2-21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26.3.21 को पेश हो।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

26-3-21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30.4.21 को पेश हो।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

30-4-21 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 18.5.21 को पेश हो।

18-5-21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.6.21 को पेश हो।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-6-21 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30.7.21 को पेश हो।

22-11-21 पत्रावली प्रशासन गोंदो के लेज डामियन 2021 के माध्यम से प्रेषित की गई है, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद गामिल हाकर प्राप्त हुए एक परिवार हल्का परिवारी बहसीलपर द्वारा द्विपट प्राप्त हुई जिले शा. प. डिवा. गया। प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार दिया जाकर निर्णय पत्र से लिखा जाकर शा. प. डिवा. गया। पत्रावली फिले अंशुभार हाकर नम्बर से कम हो।

16/10/20

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)



पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संघ अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 167/20 प्रा-पत्र

1- श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कलारामजी निवासी - बासा का रौंडा तहसील (मौजा) --प्रार्थी

बनाम

1- श्री प्रभुलाल शंकर माधव निवासी - लक्ष्मीपुरा सिडियास तहसील मांडल (मौजा) --विपक्षीगण (सिंहसंवित्र प्रा-पत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 22-11-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का सिडियास तहसील मांडल/में उसके संयुक्त खातों की आराजी नं. 491/329 कुल किता 01 रकबा 05 बीघा हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11-11-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का सिडियास तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 491/329 कुल किता 01 रकबा 05 बीघा हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराकर नियमानुसार पत्थर गद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

डॉ. पूजा सक्सेना

मांडल, भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी मांडल
प्रशासन गाँवों के संघ अभियान 2021